छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4201/2005 (एकल न्यायपीठ)

(प्रस्तुति की तिथि: 24/08/2005)

याचिकाकर्ता /
वादी :– नाबालिग नलिनी, पिता गणेश धोबा
उम्र लगभग 9 वर्ष, छात्रा,
द्वारा –वाद मित्र गणेश पिता झरू धोबा
उम्र 45 वर्ष पेशा – श्रमिक ,
निवासी :–ग्राम सुतुपाली थाना – पुसौर,
जिला रायगढ (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण /
प्रतिवादीगण 1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल
द्वारा – कार्यपालन अभियंता, छ.ग.रा.वि.मं.,
रायगढ़, जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)
2) सहायक अभियंता
छ ग राज्य विद्युत मंडल ,
रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ। ग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4200 /200

नाबालिग दीपिका

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 4201 /2005

नाबालिग नलिनी

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 12 सितंबर 2005 को सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षर /–

एल.सी.भादू
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4200/ 2005

नाबालिग दीपिका

विरूद्ध

छ०ग० राज्य विद्युत मण्डल

रिट याचिका क्रमांक 4201/ 2005

नाबालिग नलिनी

विरूद्ध

छ०ग० राज्य विदयुत मण्डल एवं अन्य

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री मलय भादुडी अधिवक्ता उपस्थित

उत्तरवादीगण की ओर से श्री अभिषेक सिन्हा अधिवक्ता उपस्थित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(12 सितंबर 2005 को पारित)

मानीय न्यायाधीश श्रीमान एल.सी.भादू के समक्ष

1. याचिका क्रमांक 4200/2005, जिसमें नाबालिग दीपिका ने अपने वादमित्र सेतराम के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध याचिका दाखिल की है, और याचिका क्रमांक 1804/2005, जिसमें नाबालिग नलिनी ने अपने वाद मित्र गणेश धोबा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध याचिका दाखिल की है, जिसे इस सामूहिक आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है, क्योंकि इन याचिकाओं में समान विधि का प्रश्न सम्मिलित हैं ।

2. इन रिट याचिकाओं द्वारा याचिकाकर्तागणों ने सिविल वाद क्रमांक 5 ए / 2004 और 6 ए / 2004 में विद्वान जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित आदेशों की

वैधता, औचित्यता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत विद्वान जिला न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सह पठित आदेश 16 नियम 1 के तहत याचिकाकर्तागणों की ओर से दाखिल आवेदनों को निरस्त कर दिया है (जिसे एतद पश्चात अधिनियम से संदर्भित किया जावेगा) मूल अभिलेख के साथ को बुलाये जाने के लिये आवेदन में उल्लेख किया गया है।

3. इन रिट याचिकाओं को दाखिल करने के लिये अग्रसर होने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुतुपाली की छात्रा है, उन्होने उत्तरवादीगणों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये जिला न्यायालय रायगढ में उपरोक्त सिविल वाद इस आधार पर दाखिल किया है कि उत्तरवादीगणों की लापरवाही की वजह से याचिकाकर्तागणों को स्कूल में रहते हुये बिजली का करंट लगा था। समन जारी होने के बाद उत्तरवादीगणों ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया है। दिनांक 05-02-2005 को विद्वान जिला न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के अभिवचनों से उत्पन्न वाद विषय (विवाद्कों) को तैयार किया । और उसी दिन दोनो पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रत्येक पक्ष पॉच का परीक्षण करवाना चाहता है इसलिये याचिकाकर्तागणों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। स्वीकृत रूप से पक्षकारों के द्वारा साक्षियों की सूची दाखिल नहीं की गई है । दिनांक 03-08-2005 को याचिकाकर्तागणों की ओर से उनके संबंधित वाद में उक्त आवेदनों में नामित मूल अभिलेखों के साथ को बुलाने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश 16 नियम 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। उत्तरवादीगणों की ओर से उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया ।विद्वान जिला न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के द्वारा याचिकर्तागणों के आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्तागणों के द्वारा साक्षियों की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये वे साक्षियों को बुलाने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 16 नियम 1 और 1 –ए के प्रावधान उपनियम (3) के अधीन है, इसलिये साक्षियों को आवेदन में उल्लेखित मूल अभिलेख के साथ नहीं बुलाया जा सकता है।

4. उत्तरवादीगणों की ओर से इन याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है ।

6. याचिकर्तागणों के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के.भादुडी ने तर्क दिया कि साक्षियों को बुलाने की प्रार्थना इसलिये की गई है क्योंकि सभी साक्षी शासकीय कर्मचारी है, और दस्तावेज सरकारी अभिलेख के भाग(अंग) है और चूँकि ये याचिकाकर्तागणों की शक्ति और नियंत्रण में नहीं है ,इसलिये विद्वान जिला न्यायाधीश को इन को अभिलेख के साथ बुलाना चाहिये था। उन्होने आगे तर्क दिया कि चूँकि कुछ दस्तावेज याचिकर्तागणों के पूर्व के अभिभाषक श्री अशोक मिश्रा अधिवक्ता के कार्यालय में रखे गए है, जिस पर राज्य द्वारा दांडिक प्रकरण चलाया गया है और वे न्यायिक अभिरक्षा में है, इसलिये याचिकाकर्तागण उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है , इस प्रकार की स्थिति में, याचिकाकर्तागणों के पास सरकारी और अभिलेख को बुलाने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था । जिनका उल्लेख उक्त

आवेदनो में किया गया है । एतद अनुसार याचिकाकर्तागण और दस्तावेजों को आहूत करने के लिये पर्याप्त कारण दिखाने में सक्षम रहे है।

7. दूसरी ओर उत्तरवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने रिट याचिकाओं का विरोध किया और विद्वान जिला न्यायाधीश रायगढ द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया ।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मैंने आक्षेपित आदेशों, अन्य अभिलेखों और याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश रायगढ़ के समक्ष दायर आवेदनों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. आदेश 16 नियम 1 उप–नियम (1) से (3) और नियम 1–ए के प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में विवाद के समुचित निराकरण के लिए, को बुलाने और उनकी उपस्थिति के संबंध में संहिता की योजना पर एक नज़र डालना लाभदायक होगा। संहिता की धारा 30 में यह प्रावधानित है कि '' ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुये जो विहित किये जाएँ , न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर (ब) ऐसे व्यक्तियो के नाम समन निकाल सकेगा जिसकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थो को पेश करने के लिये अपेक्षित है (स) यह आदेश दे सकेगा कि कोई अन्य तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जावे । आदेश ''16 नियम 1 साक्षियों की सूची और साक्षियों के समन से संबंधित है जो प्रतिबिंबित करता है कि ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे और जो विवादकों का निपटारा कर दिये जाने के पन्द्रह दिन पश्चात न हो , पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची पेश करेगें जिन्हें वे

या तो साक्ष्य के लिये या दस्तावेजों को पेश करने के लिये बुलाने की प्रस्थापना करते है और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिये उनके नाम समन अभिप्राप्त करेगें। उपनियम (2) यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिये समन अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह पक्षकार न्यायालय मे आवेदन उसमें उस प्रयोजन का कथन करते हुये फाईल करेगा , जिसके लिये साक्षी को समन किया जाना प्रस्थापित है उपनियम (3) न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुये पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी की जो उपनियम (।) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नामों से भिन्न हो , चाहे वह न्यायालय की मार्फत समन द्वारा या अन्यथा बुलाने की अनुमति केवल तभी दे सकेगा, जब ऐसा पक्षकार उक्त सूची में ऐसे साक्षी के नाम का वर्णन करने मे लोप के पर्याप्त कारण दर्शित कर दे । नियम 1– क एक पक्षकार को हकदार बनाता है कि '' नियम 1 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुये वाद का कोई पक्षकार नियम 1 के अधीन समन के लिये आवेदन किए बिना किसी साक्षी को देने या दस्तावेज पेश करने के लिये ला सकेगा । नियम 7 न्यायालय को अधिकृत करता है कि '' न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से न्यायालय यह अपेक्षा कर सकेगा कि व्यक्ति साक्ष्य दे या ऐसी कोई दस्तावेज पेश करे जो उस समय या वहॉ उसके कब्जे या शक्ति में है । नियम 14 न्यायालय को अधिकृत करता है कि '' किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जाए जिसके अंतर्गत वाद का पक्षकार भी है और जो वाद के पक्षकार द्वारा साक्षी के रूप में नहीं बुलाया गया है, वहॉ न्यायालय स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति को , ऐसे दिन जो नियत किया जाएगा, साक्ष्य देने के लिये या अपने कब्जे में की कोई दस्तावेज पेश करने के लिये साक्षी के रूप में समन करवा सकेगा और साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा कर सकेगा या उससे ऐसी दस्तावेज पेश करने के लिये अपेक्षा कर सकेगा । इस प्रकार

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम (1) का उपनियम (1) उपबंधित करता है कि इसलिए, संहिता के आदेश 16 के नियम 1 के उप–नियम (1) में प्रावधान है कि 'पक्षकार की एक सूची प्रस्तुत करते , जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसी तारीख को या उससे पहले, जैसा कि न्यायालय नियुक्त कर सकता है, और उस तारीख के पंद्रह दिनों के बाद नहीं जिस तारीख को वाद विषय का निपटारा किया जाता है। वाद विषय के निपटारे के बाद की सूची प्रस्तुत करने के लिए विधानमंडल द्वारा 15 दिन की बाहरी सीमा निर्धारित की गई है। उपनियम (2) उपबंधित करता है कि यदि कोई पक्षकार किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिये समन अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह पक्षकार न्यायालय मे आवेदन उसमें उस प्रयोजन का कथन करते हुये फाईल करेगा , जिसके लिये साक्षी को समन किया जाना प्रस्थापित है उप–नियम (2) तब लागू होगा जब पक्षकार द्वारा समन प्राप्त किए जाते हैं। उपनियम 3 उपबंधित करता है कि जहां उप–नियम (1) के तहत प्रस्तुत सूची में के नाम छोड़ दिए गए हैं, तो न्यायालय किसी पक्ष को उन को बुलाने की अनुमति दे सकता है, यदि पक्ष के नामों को हटाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है और पक्षकार को ऐसे को बुलाने की अनुमति देते समय न्यायालय को कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है। नियम 1 –क वाद के पक्षकार को समन प्राप्त किए बिना साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई साक्षी लाने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार नियम 1 के उप–नियम (3) के उपबंधों के अधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब याचिकाकर्तागणों के आवेदनों को खारिज करते हुए विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है कि चूंकि याचिकाकर्तागणों द्वारा की कोई सूची दायर नहीं की गई है और नियम 1– ए उप–नियम (3) के अधीन है, इसलिए, याचिकाकर्तागण किसी भी साक्षी या दस्तावेजों को बुलाने के अधिकारी नहीं हैं, यह सच है कि इस नियम के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि जहां किसी पक्ष द्वारा की कोई सूची दायर नहीं की गई है, फिर भी आवेदन प्रस्तुत करके पर्याप्त कारण दिखाने पर भी एक आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार को बुला सकता है , दी गई स्थिति में, हमें आदेश 16 नियम 1 के उप–नियम 1 से 3 के प्रावधानों का निर्वचन करना होगा। इस संबंध में, अब हम उन सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं, जो प्रक्रियात्मक विधि के निर्वचन का मार्गदर्शन करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **संग्राम सिंह बनाम निर्वाचन न्यायाधिकरण, कोटा**, **एआईआर 1955 एससी 425** में प्रकाशित प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है: –

"अब किसी प्रक्रिया संहिता को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। यह 'प्रक्रिया' है —– कुछ ऐसा जो न्याय को सुगम बनाने और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, न कि यह कोई दंडात्मक विधान है जो दंड और सज़ा के लिए हो; न ही ऐसा उपकरण है जो लोगों को फँसाने के लिए बनाया गया हो। किसी धाराओं का अत्यधिक तकनीकी अर्थान्वयन जो उचित लचीलापन के निर्वचन की गुंजाइश न छोड़े, उससे बचना चाहिए (जब तक कि दोनों पक्षों के साथ न्याय किया जाए), क्योंकि अन्यथा ऐसा हो सकता है कि जो साधन न्याय को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, वही उसे विफल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ।"

"इसके बाद, यह बात सदैव ध्यान में रखी जानी चाहिए कि हमारी प्रक्रिया संबंधी विधियाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं। यह सिद्धांत यह मांग करता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दंडित न किया जाए, उनके पीठ पीछे निर्णय न लिए जाएँ, ऐसे कार्यवाही जो उनके जीवन और संपत्ति को प्रभावित करती हैं, उनकी अनुपस्थिति में न चलाई जाएँ और उन्हें उन कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित न किया जाए। निश्चित रूप से कुछ अपवाद होते हैं, और जहाँ वे स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, उन्हें प्रभावी किया जाना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से और उस शर्त के अधीन, हमारी प्रक्रिया संबंधी विधियों का अर्थान्वयन, जहाँ तक संभव हो, उसी सिद्धांत के प्रकाश में की जानी चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. गुजरात राज्य बनाम रामप्रकाश पी. पुरी 1970 (2) एस.सी.आर 875 के प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उद्धृत किया है कि:–

"प्रक्रिया को विधि की सहायिका के रूप में वर्णित किया गया है, स्वामिनी के रूप में नहीं, इसका उद्देश्य न्याय की सेवा करना और उसे सुगम बनाना है, न कि उसे नियंत्रित या बाधित करना। प्रक्रिया के सभी नियमों की तरह, इस नियम की ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो इस उद्देश्य को बढ़ावा दे।"

लॉर्ड पेन्ज़ेंस के 1879 (4) एसी 504 के उस अक्सर उद्धृत किए जाने वाले अंश को उद्धृत करना उपयोगी है:–

" प्रक्रिया अंततः केवल विधि की एक व्यवस्था है —– एक माध्यम और मार्ग जिसके द्वारा विधि लागू किया जाता है और न्याय तक पहुँचा जाता है। यह अपने उद्देश्य से तब बहुत दूर हट जाती है जब वह सुविधा प्रदान करने के बजाय बाधा बनने लगे, और यहाँ

तक कि विधिक अधिकारों को समाप्त कर दे। ऐसी स्थिति में, जब प्रक्रिया का कार्य सहायता करना होना चाहिए, तब वह शासन करने लगती है —– जो कि अनुचित है।"

बलवंत सिंह भगवान सिंह बनाम फर्म राज सिंह बलदेव किशन, एआईआर 1969 पंजाब और हरियाणा 197 में प्रकाशित किये गये निर्णय को के अंश को पुन: उद्धृत करना भी उपयोगी है:–

"न्याय प्रदान करने में तत्परता और शीघ्रता वांछनीय है, लेकिन न्याय की कीमत पर नहीं।" प्रक्रिया के सभी नियम न्याय की सहगामी मात्र हैं। उसका निर्वचन इस तरह नहीं की जा सकता जो न्याय में बाधा डाले। सामान्य नियम के रूप में, साक्ष्य को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। पक्षकारों को साक्ष्य देने का पूरा अवसर हमेशा दिया जाना चाहिए यदि प्रकरण की न्यायोचितता इसकी मांग करती है। यह महत्वहीन है अगर सबूत देने या जमा करने की मूल चूक लापरवाही या उपेक्षा से उत्पन्न होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **विद्याधर वी माईकराव** के प्रकाशित प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने एआईआर , **1999 एससी 1441** में अभिनिर्धारित किया है कि , जबकि नियम के आदेश 16 उप–नियम 1 (1 से 4) के प्रावधानों का निर्वचन करते हुए पैराग्राफ 30 और 31 में विधिक स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया:–

“30, इन दोनों नियमों को साथ में पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि किसी पक्ष को यह स्वतंत्रता है कि वह को न्यायालय में बुलाने के लिए समन जारी करवाए, या फिर बिना समन के भी को साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में ला सकता है। नियम 1 की उप–नियम (3) यह प्रावधान करता है कि यदि किसी साक्षी का नाम पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की सूची में शामिल नहीं है, तब भी न

यायालय उस पक्ष को उस साक्षी को पेश करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उसे न्यायालय के माध्यम से समन जारी नहीं किया गया हो।सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा –2–1977 से लागू किए गए नियम 1–क में स्पष्ट और निर्दिष्ट शब्दों में यह प्रावधान करके प्रकरण को संदेह से परे रखा है कि मुकदमे का कोई भी पक्ष सबूत देने या दस्तावेज पेश करने के लिए किसी भी साक्षी को ला सकता है। चूंकि यह नियम उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन है, इसलिए केवल इतना ही तर्क दिया जा सकता है कि किसी पक्षकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए लाए गए किसी साक्षी की जांच करने से पहले, न्यायालय की अनुमति आवश्यक हो सकती है लेकिन इसका तातपर्य नहीं होगा कि नियम 1–ए, नियम 1 के उपनियम (3) का उलल्लंघन करता है। इस न्यायालय द्वारा मांगे राम बनाम बृज मोहन, एआईआर 1983 एससी 925: (1983) 4 एससी 36: (1983) 3 एससीआर 525 में पूरी स्थिति स्पष्ट की गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 1 और नियम 1–ए के उप–नियम (3) दो अलग–अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और दो अलग–अलग स्थितियों को पूरा करते हैं। पैरा 10 (ए. आई. आर) में यह उद्धृत किया गया है कि :–

आदेश XVI के नियम 1 के उप–नियम (1) और नियम 1–ए के बीच कोई आंतरिक विरोधाभास नहीं है। आदेश XVI के नियम 1 का उप–नियम (3) न्यायालय को एक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है ताकि उस स्थिति को संभाला जा सके जहाँ पक्षकार सूची में साक्षी का नाम देने में विफल रहा है और फिर भी पक्षकार नियम 1–ए के तहत उसे स्वयं पेश करने में असमर्थ है। और ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर, पक्षकार को उप–नियम (3) के तहत न्यायालय से साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए सहायता लेनी होगी, और न्यायालय, यदि संतुष्ट है कि पक्षकार के पास नियम 1 के उप–नियम (1) के तहत दायर सूची में ऐसे साक्षी के नाम का उल्लेख न करने का पर्याप्त कारण है, तो सहायता दे सकता है।

न्यायालय ऐसे साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के माध्यम से या अन्यथा सम्मन जारी करके अभी भी अपनी सहायता प्रदान कर सकती है, जो आमतौर पर

न्यायालय ऐसे साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नहीं करती जिसका नाम सूची में नहीं दिखाया गया है। इसलिए, नियम 1 का उप–नियम (3) और नियम 1–ए दो अलग–अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और दो अलग–अलग स्थितियों को पूरा करते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31 "उपरोक्त के प्रकाश में, यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वादी द्वारा प्रस्तुत की सूची में शामिल नहीं था, फिर भ ी उसे एक साक्षी के रूप में विधिपूर्वक परीक्षित किया गया। केवल इस आधार पर कि उसे न्यायालय के माध्यम से समन नहीं किया गया था और उसका नाम की सूची में नहीं था, उसकी गवाही क ो चुनौती नहीं दी जा सकती।

14 **रहमान हुसैन बनाम अल्ताफ हुसैन और एआईआर 2004 कर्नाटक 172** में उल लेखित किए गए एक अन्य प्रकरण में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:–

''यदि उप–नियम (1) के प्रावधानों को उप–नियम (3) के प्रावधानों के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो यह देखा जा सकता है कि ऐसे प्रकरण में जहाँ किसी पक्ष ने की सूची बिल्कुल भी दाखिल नहीं की है, या जह ाँ उसने की सूची दाखिल की है लेकिन

उसमें सभी के नाम शामिल नहीं किए हैं, तो उप–नियम (3) के तहत किसी साक्षी को बुलाने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगने का उसका अधिकार छीना नहीं जाता है। शब्द, " किसी भी साक्षी " को स्वाभाविक और पूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए और ऐसा करने से न्याय हित में भी मदद मिलेगी। साधारण, शाब्दिक भाषा में "कोई " शब्द का तात्पर्य अन्य शब्दों में, प्रत्येक और हर एक होता है, बिना किसी अपवाद के।''

15. यदि हम आदेश 16 के नियम 1 के प्रावधान को देखें, तो उस स्थिति के संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है जहां किसी पक्षकार द्वारा की कोई सूची दाखिल नहीं की गई है, क्या उस प्रकरण में वह पक्ष किसी साक्षी या दस्तावेज़ को बुलाने या साक्षी या दस्तावेज़ को स्वयं लाने का अधिकारी है लेकिन, ऐसा भी नहीं कहा गया है कि यदि कोई पक्षकार अन्य 16 के नियम 1 के तहत परिकल्पित की सूची दाखिल करने में विफल रहता है तो वह पक्षकार किसी भी साक्षी को बुलाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाते हुए भी आवेदन दायर करके न्यायालय से अनुमति लेने का हकदार नहीं होगा। यह साक्षी या दस्तावेज को बुलाने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जैसा भी प्रकरण हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कैलाश बनाम ननकू** और अन्य 2005 एआईआर **एससीडब्ल्यू 2346** में प्रकाशित किए गए प्रकरण में संहिता के आदेश 8 नियम 1 के प्रावधानों का निर्वचन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

''लिखित कथन दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले आदेश VIII, नियम 1 के प्रावधान निदेशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश

VIII, नियम 1 के तहत लिखित कथन दाखिल करने के लिए समय सीमा प्रदान करने का उद्देश्य सुनवाई में तेजी लाना है, न कि इसे बाधित करना। यह प्रावधान प्रतिवादी पर एक अक्षमता बताता है यद्यपि व्य.प्र.सं के आदेश VIII के नियम 1 के परंतुक की भाषा नकारात्मक रूप में है, लेकिन इसमें अनुपालन न करने के कारण होने वाले किसी दांडिक परिणाम को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

इस प्रावधान के प्रक्रिया विधि के क्षेत्र में होने के कारण, इसे अनिवार्य नहीं, बल्कि निदेशात्मक माना जाना चाहिए। न्यायालय की व्य.प्र.सं के आदेश VIII, नियम । द्वारा प्रदत्त समय–सीमा से आगे लिखित कथन दाखिल करने की समय–सीमा बढ़ाने की शक्ति पूरी तरह से छीनी नहीं गई है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चूंकि उक्त प्रावधान प्रक्रियात्मक विधि का भाग है और इसलिए निदेशात्मक है, दीवानी मामलों के त्वरित विचारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिसने संसद को इस प्रावधान को इसके वर्तमान स्वरूप में अधिनियमित करने के लिए प्रेरित किया,

आम तौर पर प्रावधान में निहित समय सीमा का पालन एक नियम के रूप में किया जाना चाहिए और इससे विचलन अपवाद के रूप में होना चाहिए।''

17. उपरोक्त टिप्पणियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्य.प्र.सं के आदेश 8 के नियम 1 के प्रावधानों का निर्वचन करते समय की गईं, जिसमें यह प्रश्न था कि क्या न्यायालय लिखित कथन दाखिल करने के लिए 90 दिनों से अधिक समय बढ़ाने का हकदार है, जो लिखित कथन दाखिल करने के लिए अधिकतम समय के रूप में प्रदान किया गया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधि प्रक्रियात्मक है और असाधारण मामलों में न्यायालय को 90 दिनों से अधिक समय बढ़ाने से वंचित नहीं

किया जाता है, जिसे आदेश 8 के नियम 1 के तहत तय किया गया है। इसी तरह, **सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ के** प्रकाशित प्रकरण में, 2005 **एआईआर एससीडब्ल्यू 3827 में,** न्यायालय ने उद्धृत किया है कि:–

" प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय के पास 90 दिनों से आगे की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र है। लिखित कथन दाखिल करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की अवधि प्रदान की गई है, लेकिन उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में विफलता के परिणाम आदेश VII नियम 1 में नहीं दिए गए हैं। न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्नगत नियम हैं, न कि उसे पराजित करने के लिए। प्रक्रिया के नियम न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, न कि उसे पराजित करने के लिए। नियम या प्रक्रिया का निर्वचन जो न्याय को बढ़ावा देती है और न्याय के दुरपयोग को रोकती है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियम या प्रक्रिया न्याय की सहायिका हैं, स्वामिनी नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कठोर व्याख्या न्याय को पराजित कर देगी।"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रक्रियात्मक विधि का निर्वचन करते समय उपरोक्त सिद्धांत को न्यायालयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। विधायिका द्वारा नियम 1 और नियम 1–A पेश करने का उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटान प्रतीत होता है, और नियम 1 के पीछे का उद्देश्य किसी पक्षकार को की सूची प्रस्तुत करने में विफल रहने पर के परीक्षण करने से वंचित करना प्रतीत नहीं होता है। किसी ऐसी निर्वचन को रखना कि साक्ष्य की सूची के अभाव में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की जा सकती और न्यायालय किसी पक्षकार को अपने की परीक्षा करने की अनुमति देने में असमर्थ है, भले ही वह साक्ष्य की

सूची दाखिल न करने का पर्याप्त कारण दिखाती हो, प्रक्रियात्मक अत्याचार न्याय के मार्ग को अवरुद्ध करने के समान होगा, जो विधायिका का आशय नहीं हो सकता था जब न्यायालयों को नियम 7 के अधीन न्यायालय में उपस्थित किसी साक्षी की परीक्षा करने या नियम 14 और धारा 30(ख) के अधीन किसी साक्षी को निष्कासित करने या समन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो आदेश 18 की धारा 30 (ख), नियम 7 और 14 के अधीन शक्तियों के आलोक में नियम 1 का निर्वचन करना आवश्यक है । धारा 30(बी), आदेश 18 के नियम 7 और 14 स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि न्यायालय मुख्य रूप से वास्तविक और ठोस न्याय प्रदान करने के लिए होते हैं, और यदि उन्हें केवल तकनीकी न्याय प्रदान करना है, तो न्यायालय को अपने स्वयं के किसी साक्षी की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 30(बी), नियम 7 और 14 के तहत शक्तियाँ केवल पक्षों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. "जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित मामलों में निर्णय दिया गया है, प्रक्रिया संबंधी विधियों का निर्वचन करते समय अत्यधिक तकनीकी, कठोर और सख्त दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विधायिका न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से पूर्णतः वंचित न कर दे।" प्रक्रिया के नियम न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, न कि उसे विफल करने के लिए, और नियम या प्रक्रिया की व्याख्या जो न्याय को बढ़ावा देती है और और न्यायिक प्रक्रिया के दुरपयोग को रोकता है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियम या प्रक्रिया न्याय की *सहायिका* हैं, स्वामिनी नहीं। शब्दों को स्वाभाविक, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक अर्थ दिया जाना चाहिए, और ऐसा करने से न्याय की भावना को भी बढ़ावा

मिलेगा। उप–नियम (3) स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई भी पक्ष न्यायालय की अनुमति से किसी भी साक्षी को बुला सकता है और अपने प्रकरण के समर्थन में ऐसे साक्षी की परीक्षा कर सकता है। उप–नियम (3) में आने वाले उन शब्दों को छोड़कर, जिनके नाम उप–नियम में उल्लिखित सूची में दिए गए हैं, बाकी शब्द केवल इस बात पर ज़ोर देने के लिए हैं कि जिन के नाम पहले से ही नियम 1 के उप–नियम (1) के तहत दायर की सूची में शामिल हैं, उन की परीक्षा करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता या यह अनावश्यक है। वह वाक्यांश उप–नियम (3) के तहत न्यायालय की शक्ति को किसी भी तरह से प्रतिबंधित या सीमित नहीं करता है कि वह किसी भी पक्ष को किसी भी साक्षी को बुलाने और उसके प्रकरण के समर्थन में उसकी परीक्षा करने की अनुमति दे, निस्संदेह यह , केवल यह पर्याप्त कारण दर्शित करने पर कि उसने ऐसे साक्षियो /का नाम उन की सूची में क्यों शामिल नहीं किया है या वह की सूची क्यों नहीं दाखिल कर सकता है वह विवादक की तारीख के बाद निर्धारित 15 दिनों के भीतर की सूची क्यों नहीं दाखिल कर सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस विषय पर उपरोक्त विधि के प्रकाश में, यदि हम वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को देखते हैं, तो जिस तारीख को विवादक को तैयार किया गया था, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने मौखिक रूप से निवेदन प्रस्तुत किया था कि प्रत्येक पक्ष पांच की परीक्षित करेगा। थाना प्रभारी, थाना पुसौर, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक सरकारी विद्यालय, सुतुपाली एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायगढ़ को सम्मन भेजने के लिए संहिता की धारा 151 के साथ सह पठित आदेश 16 नियम 1 के तहत दायर आवेदनों में संबंधित अभिलेखों के साथ उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा पहले ही दाखिल किए गए कुछ दस्तावेजों की प्रतियां और शेष मूल अभिलेख पुलिस

प्राधिकारियों के कब्जे में है। अस्पताल के अधिकारियों और उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक जहां याचिकाकर्ता पढ़ रहे थे और इसलिए, उन गवाहों को म्ूल अभिलेख के साथ बुलाना आवश्यक है। आवेदनों में आगे यह उल्लेख किया गया है कि उनके कुछ दस्तावेज उनके मूल अभिभाषक श्री अशोक मिश्रा, अधिवक्ता के पास थे, दुर्भाग्यवश, उन्हें पुलिस द्वारा आरोपित किया गया है और वे न्यायिक अभिरक्षा में है , इसिए वे उन दस्ृतावेजों का पता नहीं लगा सके। इसलिए, उन गवाहों को मूल अभ्िल्ेखों के साथ बुलाना उचित होगा।

21. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिकोण में, मेरी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्तागणों द्वारा मूल सरकारी अभिलेख के साथ सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया था, जो याचिकाकर्तागणों के कब्जे में नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्तागण नाबालिग लड़कियां हैं, जो स्कूल में पढ़ रही हैं और उन्हें बिजली के झटके के कारण स्कूल में चोटें आईं और वे मूल अभिलेख पर रखना चाहते हैं तो क्या यह सच है कि स्कूल प्राधिकारियों द्वारा प्रतिवादियों को कुछ पत्र भी भेजे गए थे ताकि स्कूली बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक विद्युत लाइन को हटाया जा सके। इसलिए, आदेश 16 के नियम 1 के उप–नियम 1 और 3 को एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण निवर्चन करने के लिए और न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए, विद्वान जिला न्यायाधीश को आवेदनों की अनुमति देनी चाहिए थी और मूल अभिलेख के साथ सरकारी अधिकारियों को बुलाने का आदेश देना चाहिए था और इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्तागणों ने पर्याप्त कारण दिखाया है। तदनुसार, विद्वान जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित आदेश विपरीत हैं और आदेश 16 के नियम 1 के तहत निहित विधि के स्थापित सिद्धांतों और विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए, इसे अभिखंडित किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. परिणामस्वरूप, उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं, आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किए जाते हैं और विद्वान जिला न्यायाधीश, रायगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रकरण में आगे बढ़ें और इस आदेश के आलोक में याचिकाकर्तागणों के आवेदनों पर आदेश पारित करें।

हस्ताक्षर /–
एल.सी.भादू
न्यायाधीश

अस्वीकरण – हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित उपयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का हिन्दी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता की जावेगी ।

Translated by : अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur